न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट नं0–02,लखनऊ।

उपस्थित : श्री राम बिलास प्रसाद, एच0जे0एस0

J.O.code UP6499

सी0एन0आर0नं0–UPLKO10050442022

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः–2901/2022

महंत ओम भारती उम्र 55 वर्ष, चेला महंत जयराम भारती, निवासी–377, ब्रम्हचारी कुटी गेझा तिलपताबाद सेक्टर–82, नोएड गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)201304

. .....**प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....**अभियोगी**

अ0सं0–0074/2022
धारा–354,377,511 भा0दं0सं0
व 7/8 पाक्सो एक्ट
थाना–चौक,
जनपद लखनऊ।

दिनॉकः–04–05–022

अभियुक्त **महन्त ओम भारती** की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध सं0–0074/**2022, धारा–354, 377, 511 भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना–चौक,** जिला लखनऊ के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा [redacted] ने दिनांक 11.04.2022 को समय 22.01 थाना हाजा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वादी फोटोग्राफी का व्यवसाय कर अपनी बहन [redacted] व वि धवा मॉ का पेट पालता है। वादी चौक स्थिति बड़ी कालीजी मन्दिर में दर्शन करने तथा उक्त मन्दिन में मुण्डन अन्नप्राशन आदि कार्यक्रमों मेंफोटोग्राफीकरने जाता है तथा मन्दिर प्रांगण में ही वादी की प्रसाद की दुकान भी है। मन्दिर के वर्तमान महन्त ओम भारती अक्सर वादी को अपने कमरे में अपने हाथ पैर दबवाने के लिए बुलाते थे, अक्सर वादी को अपने कमरे में अपने हाथ पैर दबवाने के लिए बुलाते थे, मना करने पर उक्त महन्त वादी से दुकान खाली करने की धमकी देता था। वादी मन्दिर के महन्त होने के नाते उनके भय के कारण चला जाता था। महन्त बंद कमरे में वादी के शरीर को गलत ढंग से छूने का प्रयास करता था, जिससे वादी आशंकित रहता था। इसी क्रम में वादी को महन्त ओम भारती ने दिनांक 08.04.2022 को रात लगभग 1045 बजे मन्दिर में आरती समापन के बाद जबरदस्ती अपने कमरे में रोक लिया तब वादी ने अपनी मोबाईल की आडियो रिकार्डिग छिपकर चालू कर दी। उक्त महन्त वादी को अपना शिष्य बताते हुए मेरे कपड़े उतार कर मेरे जननांगो को छूते हुए मेरे साथ अप्राकृति मैथुन करने का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर महन्त ओम भारती ने वादी को छोड़ दिया और कहा कल से तुम्हे रोज आना होगा और वादी को लालच देते हुए रूपये दिये और किसी को इस घटना के बारे में न बताने को कहा। वादी बुरी तरह डर और घबरा कर सारी बात अपनी मॉ से बताई। तब वादी की मॉ ने वादी को बताया कि महन्त ओम भारती ने वादी कीबहन [redacted] को भी अकेले कमरे में जबरदस्ती बुलाकर बुरी नियत से उसके शरीर से दिनांक 04.04.2022 समय शाम 3.00 से 4.00 बजे की बची छेड़छाड़ की थी। वादी कीबहन भीविरोध कर किसी तरहसे बचकर वहां से आ गयी थी। वादी की मॉ को भी महन्त ने साड़ी व चांदी की बिछिया पायल आदि जबरदस्ती काली मॉ का प्रसाद बताकर दिया था जिससे मेरी मॉ भी अपनी जुबान न खोले। उक्त महन्त ओम भारती व उसके साथ रहने वाले लोग

अपराधिक प्रवृत्ति के है। इससे पहले भी महत्न्त ओम भारतीय ऐसे कृत्यकर चुका है। वादी की मॉ और बहन ने शर्मिन्दगी के कारण उक्त बात किसी को नहीं बताई थी। परन्तु अब वादी उक्त दोनों घटनाओं की प्रथम सूचना रिर्पो लिखवाकर कूनी कार्यवाही करना चाहता है। अतः वादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर वादी व उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की याचना की गई।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि शपथी प्रार्थी/अभियुक्त(जेल में निरूद्ध) का चेला और मंदिर में पुजारी एवं वाद उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त का पैराकार है। शपथी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 0074/2022, दिनांकित 11.04.2022 अ0 धारा 354, 377, 511 आई.पी.सी. सपठित धारा–7/8 पाक्सो अधिनियम, 1012, थाना चौक, जनपद लखनऊ के विरूद्ध योजित कर रहा है। वादी द्वारा दिनांक 11.04.2022 को प्रार्थी/अभियुक्त को झूठे मुकदमें में फंसाने की नियत से मु0अ0सं0 0074/2022, दिनांकित 11.04.2022 अ0 धारा 354, 377, 511 आई.पी.सी. सपठित धारा–7/8 पाक्सो अधिनियम थाना चौक दर्ज कराया है। वादी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी को अपने कमरे में हाथ पैर दबवाने के लिए बुलाते थे और दुकान खाली करने की धमकी देते थे तथा बंद कमरे में वादी के शरी को गलत ढंग से छूने का प्रयास करता था जिससे वादी आशंकित रहता था परन्तु वादी ने न कोई निश्चित समय और न ही किसी निश्चित तिथि का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया है जिससे साबित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाए गएआरोप पूरी तरह असत्य व निराधार है। वादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर दिनांक 08.04.2022 को रात लगभग 10.45 बजे मंदिर में आरती समापन के बाद जबरदस्ती अपने कमरे में रोक लेना व वादी को अपना शिष्य बताते हुए कपड़े उतारकर छूते हुए अप्राकृतिक मैथुन करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है जबकि दिनांक 08.04.2022 को नवरात्रि का दिन होने के नाते मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालू उपस्थित थे। परन्तु उपरोक्त अपराा को न किसी ने देखा न सुना जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाए गए आरोप पूरी तरह असत्य व निराधार है। वादी प्रार्थी/अभियुक्तने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के संबंध में अपनी मॉ को गताने की बात कही जिसपर वादी की मॉ ने उल्टे अपनी पुत्री मुस्कान के सथ भी प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर अकेले कमरे में जबरदस्ती बुलाकर बुरी नियत से उसके शरीर से दिनांक 04.04.2022 को समय 03.00 बजे से 04.00 बजे के बीच छेड़छाड़ करने की बात कही, इस तरह दो घटनाओं का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोट उपरोक्त में एकसाथ किया गया है जबकि किसी में भी ाटना की निश्चित तिथि व समय का उल्लेख नहीं किया गाय है। इस तरह प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.04.2022 मेंदो घटनाओं का उल्लेख, जो अलग अलग समय पर घटित हुईथी, एक ही मुदमें उल्लेख करने से अपराा की प्रकृति एवं सत्यता स्वयं में संदग्धि प्रतीत होती है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाए गए आरोप पूरी तरह असत्य व निराधार है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में मिथ्या आरोप लगाते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसकी मॉ को जबरदस्ती साड़ी, चांदी की बिछिया और पायल काली मॉ का प्रसाद बताकर दिया था जिससे वह अपनी जुबान न खोले जबकि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस तरह से कोई सामान वादी की मॉको नहीं दिया गया था । ऐसा आरोप सिर्फ वादी इसलिए लगा रहा है जिससे उसके असत्य आरोप को बल मिल सके जबकिइस कथन पर विश्वास करना उस स्थिति में औरभी मुश्किल है जब मंदिर परिसर में भारी तादात में पुलिस बल की मौजूदगी हो और ऐसा दुष्कृत्य किसी की बेटी के साथ कारित किया गया हो, पीड़ित द्वारा पुलिसको सूचित न किया जाए। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त परलगाएगए आरोप पूरी तरह असत्य व निराधार है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कहना कि उसने घटना के संदर्भ में मॉ और बहन की शर्मिंदगी के कारण उक्त घटटित घटना के बारे में नहीं बताई थी परन्तु अब वादी उक्त दोनों घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाकर कानूनी कार्यवाही करना चाहता है पूरी तरह निराधार और स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि वादी द्वारा प्रथम सूचनारिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि वचादी के साथ इस प्रकार का दुष्कृत्य अक्सकर आरोपी/अभियुक्त के द्वारा उसके साथ किया जा रहा था जबकि इन घटनाओं के

लगातार घटित होते हुएभी वादीएवं वादी का परिवार मंदिर प्रांगण में दुकान लगाकर निरंतर अपना व्यवसाय किया जाता रहा जबकि वास्तविक तथ्य यह हैकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी की दुकान को मंदिर परिसर से हटवा दिया था जिसके कारण वादी लोगों के बहकावे में आकर एवं पुलिस से साठ गॉठ कर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेजवा दिया। श्री बड़ी काली जी मंदिर ट्रस्ट सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसकी स्कीम दिनांक 22.12.1916 और दिनांक 14.12.1938 को न्यायिक आयुक्त अवध द्वारा पारित की गई जिसके नियत–04 की व्यवस्था के अंतर्गत महंत बोधगया द्वारा मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि के लिए नियुक्त किया गया था जिसके अनुसार वह श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार मंदिर की पूजा पाठ क व्यवस्था को संचालित करता था। स्कीम उपरोक्त काक संबंधित रूल–04 निम्नरूप में है–

> "4. the Trust shallbe administered by a committee consisting of the Mahant of Bodh Gaya for the time being as its president and four Hindu resident of Lucknow as members. It willbe open to the Mahant to nominate and depute any Sanyasi preferably Sanskrit knowing to represnet him on the committee and to act on his behalf."

मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर ट्रस्ट एक प्राचीन मंदिर है जिसकी महत्ता सिर्फ लखनऊ के बाहर के दूरदराज के जनपदों है जिसके कारण दूर दूर के जनपदों और क्षेत्रों से लाखों की संख्या में श्रद्धएालु दर्शन करने मंदिर आते है जिसमें महिला, पुरूष, वृद्ध विकलांग और अबोध बच्चे लाखों की संख्या में शामिल होते है।

मंदिर परिसर बहुत छोटा है जिसके कारण लाखों की भीड़ को बगैर सुनियोजित व्यवस्था के संभाल पाना कल्पना के परे है जिसको दृष्टि रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी तरह नवरात्रि के कुछ दिन पहले ही मंदिर के पीछे वाले भाग गो लेंटल डलवाकर उसकी छत को दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ाकर श्रद्धाओं की सुविधा के लिएबनवाया क्योंकि उस जगह पर माताएं बहने धार्मिक मान्यता के अनुसार अपने बच्चों का मुंडन सस्कार कराती है और जगह कम होने के कारण बहन बेटियों को काफी असुविधा होती थी क्योंकि गर्भ गृह के ठीक पीदे ही श्रद्धालू दीपक जलाते व नीर लेते है और मंदिर की परिक्रमा करते है जिसके कारण वहां पर लोगों की भड़ इकट्ठा हो जाती है जिसका फायदा उठाकर जेबकतरे और चोर भक्तों के पर्स और चैन इत्यादि चोरी कर लेते है इसलिए वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल और मंदिर के अतिरिक्त स्वयंसेवक भी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से मौजूदरहते है।

मंदिर में इस बार नवरात्रि का पूर्व 02.04.2022 से 10.04.2022 तक था चूॅकि वैश्विक कोरोना महामारी के बाद पहली बार मंदिर पूरी तरह से भक्तों के दर्शन के लिए खुलाथा इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त ने मंदिर के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर संभावित भीड़ कोनियंत्रित करने पर विचार विमर्श किया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बारभीड़ पहले की अपेक्षा अधिक होगी और मंदिर में अंदर आने और बाहर जाने का एक ही रास्ता है जिसके कारण दर्शनार्थियों को आन जाने में काफी समस्या होती है और उसको नियंत्रित कर पाना मंदिर और पुलिस प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्णहोता है इसलिए उसकी व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

उसके बाद प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी तरह पैसे की व्यवस्था करके मंदिर की दक्षिण दिशा में दर्शनार्थियों के बाहर निकलने के लिए एक सीढ़ी बनवाई जो उसी जगह के पास थी जहॉ वादी और वादी की मॉ ने फूल और प्रसाद की दुकान लगाईथी और वह दुकान उसी स्थान परथी जहॉ पर दर्शनार्थियों द्वारा मुंडन संस्कार, नीर लेने और दीपक जलाए जाते थे इसीतगह से दर्शनार्थियों के बाहर जाने के लिए नवरात्रि के पूर्व सीढ़ियां बनाई गयी थी।

मंदिर में बढ़ती भीड़ और निकलने में हो रही समस्या कोदेखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंदिर के स्वंय सेवकों से कहा कि इस फूल और प्रसाद की दुकान को यहॉ से हटवा दीजिए तो भीड़ आसानी से निकल जाएगी और भीड़ एकत्र नही होगी लेकिन स्वयं सेवकों के कहने पर वादी और वादी की मॉ ने दुकान को नहीं हटाया और कहा कि मैं इस जगह पर काफी लंबे समय से दुकान लगा रही हूॅ इसलिए यहीं लगाएंगे।

उसके बाद यह प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्त के सामाने आया तब प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी, वादी की मॉ को मंदिर में श्रद्धाओं के प्रवेश करने वाले रास्ते के किनारे की सड़क/गली में एक अस्थायी दुकान देते हुए कहा कि यहॉ दुकान मत लगाओं नवरात्रि तक तुम लो अपनी दुकान वहीं नीचे लगाओ जहॉसभी दुकानदार लगाते है, तुम लोगों की आजीविका भीचलेगी और मंदिर में अव्यवस्था भी उत्पन्न नहीं होगी, जिस पर वादी और वादी की मॉने प्रार्थी/अभियुक्त को देख लेने की धमकी देते हुए कहा कि संगीन धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजवा देंगे कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा उसके बाद वादी, वादी की मॉ और वादी की बहन ने मंदिर की व्यवस्था से पूर्व में हटाए गए लोगों के साथ मिलकर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध षडयंत्र रचा जिसमें जिसमें उनके साथ पुलिस प्रशासन भी शामिल है। जो पूरी तरह से फर्जी है। जिसकी पुष्टि जीडीसं0 29 दिनांकित 12.04.2022 समय 13.38 बजे, समाचार पत्र दिनांक 12.4.2022 एवं मंदिर के सीसीटीवी फुटेज दिनांक 11.04.2022 समय रात्रि करीब पौने ग्यारह बजे से होती है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सुनियोजित षडयंत्र को प्रथम सूचना रिपोर्ट, समाचार पत्रों की कटिंग, सीसीटीवी फुटेज दिनांक 11.04.2022 और जीडी संख्या–29दिनांकित 12.04.2022 से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी का समय, स्थान और तिथि में काफी विरोधाभास है जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन ने वादीगण और मंदिर से निष्कासित लोगों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर प्रार्थी/अभियुक्त को फर्जी व झूठे मुकदमें में फंसाया है।

वास्तविक तथ्य यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त को सूत्रों के माध्यम से जब यह ज्ञात हुआ कि वादी की बहन प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध चारित्रिक आरोप संबंधित बाते लोगों से जा रही है तब प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी [redacted] के मोबाईल नं0 [redacted] पर फोन किया और चारित्रिक आरोप के संबंध में बात की, तब वादी के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से साफ इंकार करते हुए कहा गया कि यह आरोप असत्य व निराधार है वादी की बहन किसी के बहकावे में ऐसी बातें कह रही होगी उसको अबोध बालिका समझस्कर माफ कर दीजिए जिसकी काल डिटेल्स प्रार्थी/अभियुक्त के पास सुरक्षित है।

दिनांक 03.04.2022 को घटित घटना के समर्थन में मौके पर उपस्थित चश्मदीद गवाहों ने घटना की सत्यता के संबंध में आरोप के जांच कर रहे सक्षम अधिकारी/विवेचना अधिकारी थाना चौक को शपथपत्र दिनांक 14.04.2022/15.04.2022 को रजिस्टर्डडाक के माध्यमसे प्रेषित कर दिया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 03.04.2022 की घटना से क्षुब्ध होकर वादी ने मनगढ़न्त व फर्जी आरोप लगाया है।

वादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोट्र में कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने मेरे जननांगो को छूते हुए मेरे साथ अप्राकृतिक मैथुन करने का प्रयास किया जबकि धारा–377 आई. पी.सी. में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक इन्द्रिय भोग गठित करने के लिए,पवेशन आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 377 आई0पी0सी0. का अपराध नहीं बनता है परन्तु विवेचनाधिकारी बिना किसी तथ्य पर विचार किए प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 377 में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाना न्याय विरूद्ध है।

वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 354, 377 आई.पी.ी.व धारा 7/8 पाक्सो के साथ ध ाारा 511 केक अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ जिससे कि वादी द्वारा लगाए आरोप में मात्र प्रयास करना कहा गया है न कि अपराध कारित करना कहा गया है लेकिन पुलिस द्वारा प्रार्थी/ अभियुक्त को जेल भेज दिया गया जो कि न्याय विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद, मनगढ़ंत षडयंत्र पूर्ण एवं साक्ष्यविहिन है अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त 55 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है एवं विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रहता है इसलिए जमानत दिया जाना न्यायहित में होगा। घटना की तिथि एवं समय का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो विभिन्न तिथियों पर घटित होने वाली घटना को एक साथ शामिल किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा अक्सर उसके साथ घटना घटित होने की बात कही गई है जबकि वह सिर्फ नवरात्रि में ही दुकान लगाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि मंदिर में उपस्थित पुलिस बलों को उसने घटना के बारे में क्यों नहीं बताा । जिन धाराओं में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है उन धाराओं में आरोप प्रथम

सूचना रिपोर्ट के आधार पर बनता ही नहीं लेकिन आरोपो को गंभीर किस्म का बनाने के लिए उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त पर कोई आरोप नहीं बनता। जमानत मिलने का आशय यह नहीं कि प्रार्थी/अभियुक्त आरोप मुक्त हो गया बल्कि उसके आरोप पर विचारण माननीय न्याालय के समक्ष होगा और न्यायचालय उसे सजा भी सुना सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा और शहर के बाहर कहीं नहीं जाएगा, यदि कहीं जाएगा तो नयालय से पूर्वानुमति प्राप्त करके ही जाएगा। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना श्रीमान न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। जमानत मिलनेसे प्रार्थी/अभियुक्त की सजा का प्रभाव कम नहीं होगा। प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं पायागया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा निर्धारित जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है और उसका दुरूपयोग नहीं करेगा।

वादी मुकदमा को नोटिस का तामीला पर्याप्त होने पर उसके द्वारा आपत्ति दाखिल करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है। वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सही घटना पर आधारित है । झूठा मुकदमा लिखाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पुलिस द्वारा जो भी कार्यवाही की गयी है वह सही तरीके से की गयी है और अभियुक्त द्वारा घिनौना अपराध कारित किया गया है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन का समर्थन किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया और कहा गया है कि अभियुक्त पर नाबालिग लड़के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने का प्रयास किया गया और उसकी बहन के साथ अश्लील हरकते करने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त जनपद लखनऊ के थाना चौक के प्रसिद्ध काली जी मंदिर का महंत व पुजारी है। महंत पर लगाये गये आरोप के संदर्भ में धारा 164 सीआरपीसी के बयान, पीड़िता [redacted] द्वारा दिये गये बयान का अवलोकन जरिये केस डायरी किया गया। अभियुक्त द्वारा पीड़ित/पीड़िता के साथ यौन संबंधी अपराध किये जाने का कथन है ''कुछ परिस्थितियों में यौन र्दुव्यवहार को अधिक संगीन माना गया है जैसे किसी नजदीकी अथवा पड़ोसी या किसी आस्था के प्रतीक व्यक्ति द्वारा किये जाने पर इसे काफी संगीन माना जायेगा।

शोषण के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग द्वारा यह कहा गया है कि ''बालकों के स्वतंत्र वातावरण व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ्य विकास के अवसर और सुविधाए दी जाए और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाय। **बालक राष्ट्र की सुप्रीम सम्पत्ति है।''**

''बच्चे मानवता के लिए सबसे बड़ी भेट है और बालकों का यौन शोषण एक गम्भीर अपराध है।'' अतएव ऐसीदशा में जिस धर्मस्थल से किसी विशेष समुदाय की आस्था जुड़ी हो, धर्मस्थल का तथाकथित महंत द्वारा बाल एवं शोषण करे। जिसकी अन्य मामले से तुलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा अभियुक्त के विरूद्ध थाने द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से कई आपराधिक इतिहास भी परिलक्षित है। निश्चित ही गम्भीर प्रकरण है।

अतः केस के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये जमानत का आधार अपर्याप्त है। अतएव जमानत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **महन्त ओम भारती** की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध सं0–0074**/2022, धारा–354, 377, 511 भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना–चौक,** जिला लखनऊ खारिज किया जाता है।

(आर0बी0 प्रसाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट
कोर्ट नं0–02,लखनऊ।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2901/2022
महंत आम भारती बनाम सरकार

कोर्ट नं0–2,लखनऊ।